[Mr. Chairman]

sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Gujarat for services of the financial year 1979-80, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN : Now the question is :

"That clauses 2, 3 and the Schedule stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 2, 3 and the Schedule were added to the Bill.

MR. CHAIRMAN : The question is :

"That Clause 1, the Enacting Formula and the Title stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI R. VENKATARAMAN : I beg to move:

"That the Bill be passed."

MR. CHAIRMAN : The question is :

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

17.30 hrs.

MADHYA PRADESH BUDGET—GENERAL DISCUSSION, DEMANDS* FOR GRANTS ON ACCOUNT (MADHYA PRADESH) 1980-81 AND SUPPLEMENTARY DEMANDS* FOR GRANTS (MADHYA PRADESH), 1979-80.

MR. CHAIRMAN : Now, we shall take up the Madhya Pradesh Budget.

Motion moved :

"That the respective sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the third column of the Order Paper, be granted to the President out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh, *on account*, for or toward defraying the charges during the year ending on the 31st day of March, 1981, in respect of the heads of demands entered in the second column thereof against Demands Nos. 1 to 43."

"That the respective Supplementary sum not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the third column of the Order Paper, be granted to the President out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh, to defray the charges that will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1980, in respect of the following demands entered in the second column thereof—

Demands Nos. 1 to 4, 6 to 11, 13, 17 to 24, 27 to 30, 32 to 35, 40, 41, 43."

Demands for Grants on Account (Madhya Pradesh) for 1980-31 submitted to the vote of Lok Sabha.

No. of Demand	Name of Demand	Amount of Demand for grant on Account submitted to the vote of the House.	
1	2	3	
		Revenue	Capital
		Rs.	Rs.
1.	General Administration	1,47,59,000	—
2.	Other expenditure pertaining to General Administration Department	12,56,000	—
3.	Police	20,07,38,000	1,88,000

* Moved with the recommendation of the President.

1	2	3	
4.	Other expenditure pertaining to Home Department	93,49,000	1,16,85,000
5.	Jails	1,57,56,000	..
6.	Expenditure pertaining to Finance Department	5,78,72,000	3,82,40,000
7.	Expenditure pertaining to Separate Revenue and Registration Departments	3,53,10,000	33,000
8.	Land Revenue and District Administration	9,15,76,000	70,83,000
9.	Other Expenditure pertaining to Revenue and Land Reforms Departments	1,99,36,000	..
10.	Forest	28,05,66,000	44,45,000
11.	Expenditure pertaining to Commerce and Industry Department	2,58,24,000	1,58,02,000
12.	Electricity	9,44,61,000	40,97,66,000
13.	Agriculture	11,24,40,000	5,85,53,000
14.	Animal Husbandry	3,88,79,000	—
15.	Dairy Development	2,27,57,000	—
16.	Fisheries	43,46,000	5,40,000
17.	Cooperation	1,84,16,000	2,68,00,000
18.	Labour and Employment	1,90,39,000	..
19.	Medical Public Health and Family Welfare	21,68,54,000	33,000
20.	Public Health Engineering	14,51,86,000	1,02,47,000
21.	Expenditure pertaining to the Housing and Environment Department	59,47,000	1,18,67,000
22.	Expenditure pertaining to Local Government Department	1,12,20,000	5,00,000
23.	Irrigation Works	15,66,75,000	42,52,13,000
24.	Public Works	28,77,91,000	6,85,72,000
25.	Expenditure pertaining to Mineral Resources Department	34,65,000	—
26.	Languages	5,20,000	—
27.	Education	52,15,92,000	13,16,000
28.	State Legislature and Elections	1,55,17,000	..
29.	Administration of Justice	1,74,63,000	..
30.	Expenditure pertaining to Panchayat and Rural Development Department	16,89,74,000	66,000
31.	Expenditure pertaining to Planning, Economics and Statistics Departments	71,72,000	18,08,000

1	2	3	
32.	Information and Publicity	50,72,000	4,000
33.	Tribal and Harijan Welfare	12,83,82,000	41,83,000
34.	Social Welfare	3,14,07,000	..
35.	Rehabilitation	43,95,000	10,69,000
36.	Civil Supplies	6,47,000	..
37.	Tourism	7,49,000	16,95,000
38.	Archaeology	17,21,000	..
39.	Expenditure pertaining to Food Department	34,92,000	7,00,000
40.	Irrigation Command Areas Development	2,20,95,000	3,15,77,000
41.	Tribal Areas Sub-Plan	20,84,31,000	14,63,56,000
42.	Public Works relating to Tribal Areas Sub-Plan	6,26,000	3,14,80,000
43.	Additional Expenditure in scarcity affected Areas	13,20,00,000	9,05,00,000

Supplementary Demands for Grants (Madhya Pradesh) for 1979–80 submitted to the Vote of Lok Sabha

No. of Demand	Name of Demand	Amount of Demand for Grant submitted to the vote of the House	
1	2	3	
		Revenue Rs.	Capital Rs.
1.	General Administration	17,49,000	..
2.	Other Expenditure pertaining to General Administration Department	5,63,000	..
3.	Police	2,92,77,000	..
4.	Other Expenditure pertaining to Home Department	2,20,60,000	35,00,000
6.	Expenditure pertaining to Finance Department	68,27,000	..
7.	Expenditure pertaining to Separate Revenue and Registation Departments	21,000	..
8.	Land Revenue and District Administration	41,53,000	44,40,000

1	2	3	
9.	Other Expenditure pertaining to Revenue and Land Reforms Departments	13,18,000	..
10.	Forest	8,30,19,000	38,84,000
11.	Expenditure pertaining to Commerce and Industry Department	7,86,000	88,50,000
13.	Agriculture	71,000	4,17,00,000
17.	Cooperation	7,20,000	59,50,000
18.	Labour and Employment	3,85,000	..
19.	Medical, Public Health and Family Welfare	25,44,000	..
20.	Public Health Engineering	3,63,85,000	..
21.	Expenditure pertaining to Housing and Environment Department	..	1,000
22.	Expenditure pertaining to Local Government Department	11,78,000	12,00,000
23.	Irrigation Works	52,000	11,000
24.	Public Works	21,000	..
27.	Education	2,000	3,00,000
28.	State Legislature and Elections	65,68,000	..
29.	Administration of Justice	21,10,000	..
30.	Expenditure pertaining to Panchayat and Rural Development Department	3,06,98,000	54,84,000
32.	Information and Publicity	5,00,000	..
33.	Tribal and Harijan Welfare	3,000	42,00,000
34.	Social Welfare	4,000	15,30,000
35.	Rehabilitation	..	30,90,000
40.	Irrigation Command Areas Development	1,000	..
41.	Tribal Areas Sub Plan	4,35,000	
43.	Additional Expenditure in Scarcity Areas	25,07,02,000	..

SHRI BASUDEB ACHARIA (Bankura): Mr. Chairman, the Madhya Pradesh Budget as presented by the hon. Finance Minister does not reflect any radical change in the policy of the Government. You are aware of the fact that more than 50 per cent of the population of Madhya Pradesh is affected by unprecedented drought. Out of 50 million people, 26·4 million people, of the State are hit by drought. Rs. 15 crores which have been allotted for drought relief work are too meagre an amount to combat the situation.

There is a large scale corruption in relief operation in Madhya Pradesh. More than 50 per cent of relief works are being executed through newly elected Gram Panchayat. Part of the remaining works have been entrusted to private contractors. The complaints are numerous in works being executed through private agencies. It is for the first time in the drought history of the State that relief works have been entrusted to private contractors. I suggest popular committees should be formed to supervise relief works in Madhya Pradesh.

Today sugar is being sold at Rs. 6-7 per kg. Most of the sugar mills have been closed due to anti-labour policy of the management. Workers are not paid their wages and bonus and the sugar producers of the State have yet to get their price. The administration has even allowed a rebate on excise duty to these sugar mills.

The Present government is also adopting the same repressive measures to curb the trade union movement and the discontent of the workers in various parts of the State. Externment orders were passed on many C.I.T.U. activities. Around Bhilai Steel Plant, there are a number of small and meduim scale industries manufacturing various component parts of Bhilai Steel Plant. The conditions of the workers in these factories are extremely bad. Most of the workers are working under contractors with no prospect of permanency. In Rayhora Iron Ore, in Bharat Aluminium at Korba and in Bharat Heavy Electricals, everywhere the administration is adopting draconian measures to repress the working class.

In the budget, we do not see the assurances given by the previous government, the assurances to sanction unemployment dolls. Dolls were given by the previous government, but we do not see in this budget that the government is going to respect those assurances and to increase the salaries of the village panchayats who are getting very low wages. Government is not also seriously thinking to implement land reforms in the State. The Ruling Party loudly talks of land reforms, but in practice we see that for the last 30 years, it has not been done in the State.

The landless labourers were mostly tribal people. Their condition to day is must appalling. Most of them are forced to eat grass to-day. The Minimum Wages Act has not been implimented in the State. Thus I suggest that the Government should take measures to improve the appalling condition of the tribal people by enforcing the minimum wages and by implementing Land Reforms Act. In the State 70% of the people are poor peasants. Ou of them 40% are landless people. If the land is distributed among the landless people, we can raise their income. Then some of the problems of the State can be solved. I suggest that the Government should take some such measures to improve the conditions of the landless Labourers and also stop repressive measures being adopted by the present Government. Many representations were given to the Government but no consideration has yet been made. I would request the Government through you that the repressive measures which are being adopted to-day may be stopped. I hope Government will consider all this. With this I conclude my speech.

श्री मुंदर शर्मा (जबलपुर) : सभापति महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने मध्य प्रदेश के सम्बन्ध में जो बजट प्रस्तुत किया है, मैं उस के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। जब मैं आसाम, बिहार और गुजरात की बातें सुन रहा था और उन को पिछड़े हुए राज्य कहा जा रहा था तो मुझे आश्चर्य हो रहा था कि मध्य प्रदेश को किस श्रेणी में रखा जाय। यदि पिछड़े हुए राज्यों की कोई दूसरी सूची बनाई जाय तो मध्य प्रदेश का सम्भवत: प्रथम स्थान होगा। आप सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश जंगल और पहाड़ों से आच्छादित प्रदेश है। जब तक हम वहां के खनिज पदार्थों के सही सही दोहन की व्यवस्था नहीं करते, जब तक हम अपने बजट में इस काम के लिए सही प्रावधान नहीं करते तब तक हम वहां के जंगली और खनिज पदार्थों का सही सही लाभ नहीं उठा सकते। जब तक हम वहां के खनिज पदार्थों के दोहन की व्यवस्था कर के छोटे-छोटे और बड़े-बड़े उद्योग नहीं लगाते तब तक मध्य प्रदेश उन्नति की ओर अग्रसर नहीं हो सकता। हम जानते हैं आज तक हर साल बजट बनते रहे हैं, आगे भी बनते रहेंगे लेकिन हमें देखना यह है कि वास्तव में गरीबों के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए कौन सा बजट आता है जिस से कि हमारी गरीब जनता जो जीवन-स्तर से नीचे अपना जीवन यापन कर रही है, वह उस से ऊपर उठ सके। इस के लिए हमें सम्भवत: देहातों की ओर जाना पड़ेगा। बापू ने कहा था—"भारत की आत्मा देहातों में बसती है।" यदि हम उन ग्रामीण क्षेत्रों का उद्धार नहीं करेंगे, उन्नति नहीं

करेंगे, तो सम्भवतः भारतवर्ष की गरीबी दूर नहीं हो सकती।

आज जंगलों की जो स्थिति है—वह हमारे सामने है। हमारे जंगलों में ऐसी लकड़ी है जिसका ठीक ठीक उपयोग नहीं हो रहा है। पहले जमाने में किसानों को मकान बनाने के लिए लकड़ी मिला करती थी लेकिन आज वह चोरी से जहां तहां चली जाती है और उसका ठीक ठीक उपयोग नहीं हो पाता है। महाराष्ट्र के चन्द्रपुर में एक ऐसी योजना बनाई गई है, जिसके अनुसार किसानों को लकड़ी दी जाती है, उसी तरह की योजना हम अपने यहां भी लागू कर सकते हैं।

मध्य प्रदेश के जंगलों में गुलू-गोंद होता है जिसको भारतवर्ष से निर्यात किया जाता है और उस से देश को काफ़ी पैसा भी मिलता है। लेकिन उस को इस प्रकार से निकाला जाता है, जिससे उस के पेड़ नष्ट होते जा रहे हैं और सम्भव है निकट भविष्य में यह उत्पादन हमारे हाथ से निकल जाय। मेरा निवेदन है कि इसके संरक्षण की तरफ ध्यान दिया जाय। इस से दो लाभ होंगे, एक तो यह कि चोरी से जो माल जाता है, जिस से निजी व्यापारी मालामाल हो रहे हैं और राष्ट्रीयकरण के बावजूद भी जो पैसा सरकार के खजाने में आना चाहिए, वह नहीं आ रहा है, वह बन्द हो सकेगा और साथ ही पेड़ों की सुरक्षा भी हो सकेगी मैं अनुरोध करता हूं कि इस की तरफ विशेष ध्यान दिया जाय। आदिवासियों को अधिक मूल्य दिया जाए, जिस से उन को लाभ हो सके। इस की तरफ भी ध्यान देने की आवश्यकता है।

मैं उद्योग के सम्बन्ध में भी कुछ कहना चाहता हूं। मध्य प्रदेश अभी पिछड़ा हुआ राज्य है क्योंकि वहां पर रेल कनेक्शन ठीक नहीं है अथवा आवागमन के रास्ते नहीं हैं। इसलिए वह उद्योगों के मामले में बहुत पिछड़ गया है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि बड़े बड़े उद्योग जो लगाए जाएं, वे किसानों से समन्वित छोटे उद्योगों से सम्बन्धित हों। जब तक किसानों से समन्वित उद्योग नहीं लगाए जाएंगे, तब तक शायद मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो सकती। यह बहुत ही इम्पोर्टेन्ट है। पहाड़ी जमीन होने के कारण नहरें बहुत कम हैं। इसलिए मेरा सुझाव यह है कि किसानों के लिए ट्यूबवेल का प्रावधान किया जाए। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि ट्यूबवेल्स के लिए जो किसानों को रुपया दिया जाता है, वह बहुत चक्कर लगाने पर मिलता है और उस तक पहुंचते पहुंचते वह राशि आधी ही रह जाती है। केन्द्रीय सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये कि किसानों को कम ब्याज पर पैसा मिले या कुछ सब्सीडी दे कर आप उन की मदद कर सकते हैं।

हमारे यहां बिजली की बहुत कमी है। वैसे तो देश में ही बिजली की कमी है लेकिन हमारे यहां बिजली की आंख मिचोली होती रहती है। निर्धारित अवधि के लिए बिजली मिलती है। इस से यह होता है कि किसान जो मजदूरों को ले जा कर अपना काम करवाता है, वह नहीं होता है। इस से किसानों को नुकसान होता है और छोटे छोटे उद्योगों को भी नुकसान उठाना पड़ता है। इस तरफ भी ध्यान देने की आवश्यकता है।

जिस क्षेत्र से मैं आता हूं, उस के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं। मैं यह कहना चाहूंगा कि वही राज्य उन्नति के शिखर पर जाता है जहां के लोग शिक्षित होते हैं। हम को यह देखना होगा कि हर एक गांव में एक प्राइमरी स्कूल हो। हमारे यहां गांवों में बहुत कम स्कूल हैं और जहां पर स्कूल हैं भी, वहां की बिल्डिंगों की हालत बहुत जर्जर है। भवन ठीक नहीं हैं। वहां से जो विद्यार्थी पढ़ कर निकलेंगे, वे कैसे होंगे इस का आप अन्दाजा लगा सकते हैं। जबलपुर के सम्बन्ध में मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा। जबलपुर मध्य प्रदेश की राजधानी बनने वाला था लेकिन राजधानी बनने की बजाए वहां से हाई कोर्ट भी इधर उधर ले जाई जा रही है, जिस से वहां पर बड़ा असंतोष है। ऐसा करना जबलपुर के लिए अन्याय होगा।

व्हीकिल फैक्टरी, जी0 सी0 एफ0 और पी० एण्ड टी० के केन्द्रीय स्थान वहां पर हैं लेकिन फिर भी लोकल ट्रेन नहीं है। इस ओर भी बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। यह कहा जाता है कि अहमदाबाद एक सस्ता मार्केट है। जबलपुर में कोई ट्रेन ऐसी नहीं है, जिस से अहमदाबाद को जोड़ा जा सके। वहां पर सीधी ट्रेन लाइन दी जाए, तो यह समस्या हल हो सकती है।

हमारे यहां पर एक मात्र उद्योग बीड़ी का उद्योग है। उस की तरफ़ मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जब जनता सरकार आई तो उस ने यह व्यवस्था की कि जो व्यक्ति प्रति वर्ष 60 लाख बीड़ी बनाएगा, उस को तम्बाकू पर एक्साइज में छूट दी जाएगी। ऐसा नियम उन्होंने बना दिया था। इस से यह हुआ कि बड़े बड़े लोगों ने बीड़ियां बना ली और उन के लेबिल हटा कर इस एक्साइज ड्यूटी से छूट ले ली। इस से एक तो मजदूरों को काम नहीं मिला और दूसरे सरकार को भी बहुत ज्यादा घाटा हो रहा है। जो तम्बाकू पर एक्साइज ड्यूटी उस को मिल रही थी, वह नहीं मिल पाई। इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। गुजरात में अहमदाबाद में तम्बाकू की खेती अधिक होती है। जब जनता सरकार आई, तो वित्त मंत्री जी और प्रधान मंत्री जी गुजरात के थे। इसलिए उन्होंने तम्बाकू को एक्साइज ड्यूटी से माफ कर दिया। इस से सरकार को काफ़ी नुकसान हुआ। इस पर ध्यान देना चाहिये।

सूखे की स्थिति की बात भी बहुत ही अहम है। अपने क्षेत्र का दौरा करते समय मैंने धीमरखेडा ब्लाक के कदरागांव में देखा कि वहां आदिवासी घास के बीज खाते हैं और छाल पीस कर रस पीते हैं। वहां

[श्री मुंडेर भाई शर्मा]

के आदिवासियों ने मुझे बताया कि चुनाव से पूर्व तो राहत कार्य वहां किये गये लेकिन चुनाव के पश्चात् वे सब राहत कार्य बन्द हो गये। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि ऐसा सूखा वहां 85 वर्ष के बाद पड़ा है। आजकल वहां के लोग घास खाने पर मजबूर हो रहे हैं जिसके बीज को खाने से शरीर में सूजन आ जाती है और उनके शरीरों में सूजन आ गई है। इस सम्बन्ध में हमारा एक ही निवेदन है कि वहां राहत कार्य चालू किये जाएं। हमें बताया गया है कि राहत कार्यों के लिए 50 हजार रुपये तक खर्च करने का तो कलेक्टर को अधिकार है लेकिन उससे अधिक की स्वीकृति राज्य शासन से लेनी पड़ती है। इस सम्बन्ध में हमारा निवेदन है कि वहां राहत कार्यों को तीव्र गति से चलाने के लिए इस नियम में ढील दी जानी चाहिए। जब तक वहां महुए की और तेन्दुवे की फसल नहीं आ जाती तब तक बड़ी बड़ी योजनाओं को सरकार को अपने हाथ में ले कर चलाना चाहिए ताकि कहीं ऐसा न हो कि वहां के लोगों को भुखमरी का शिकार होना पड़े।

इस समय 125 किलोमीटर क्षेत्र में केवल दो जगह राहत कार्य देखे गये। वहां के सरपंच, वहां के सफेदपोश लोग मिल कर राशन की दुकानों में लूट मचाये हुए हैं जिसकी ओर जिला अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया गया है और उनसे कहा गया है कि हम कौन सी मशीनरी रखे हुए हैं कि कुछ मुट्ठीभर लोग गरीब मजदूरों का हक मार रहे हैं।

हमारे यहां एक खमरिया गांव है जिसका सरपंच आदिवासी है। एक आदिवासी ने उसके खिलाफ मुंह खोला तो वह सरपंच उसको नाना प्रकार से तंग करने के लिए पहुंच गया। इस ओर भी ध्यान देना बहुत आवश्यक है।

इसी प्रकार से वहां एक कछार गांव है। वहां के एक व्यक्ति को अपनी कसेसी बेचने के लिए बाध्य होना पड़ा। वहां के लोगों की मांग है कि अगर सरकार उस क्षेत्र के कुछ लोगों को केवल दो रुपये रोज में ही कुछ काम सप्ताह के सातों दिन दे दे तो भी उनका काम चल सकता है। लेकिन चुनाव के पूर्व राहत कार्य जोरों से होने के बाद, चुनाव के पश्चात् सब बंद हो गये हैं। इस के बारे में मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। सरकार को देखना चाहिए कि सहकारी समितियों में और पंचायतों में भ्रष्टाचार न होने पावे।

एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि जो वाणी स्वतन्त्रता की बात कही जाती है उसके बारे में बताना चाहता हूं कैसी वाणी स्वतन्त्रता रही है। हमारे जबलपुर से एक नवीन दुनियां पत्र निकलता है। उसको पिछले 10–15 वर्षों से यू0 पी0 एस0 सी0 से विज्ञापन मिल रहा था लेकिन जनता सरकार के आने के बाद उसे विज्ञापन मिलना बन्द हो गया। इसी तरह से 1977 के चुनावों के पहले जनता पार्टी ने बहुत से आश्वासन दिये थे कि बेकारों को बेरोजगारी का भत्ता दिया जाएगा और नाना प्रकार के आश्वासन दिये थे। लेकिन शासन में आने के बाद उन्होंने क्या किया उसके बारे में एक कहानी कह कर मैं समाप्त करूंगा —

नाच करो नाच करो बीबी पैसे मिलेंगे।

जब नाच होने लगा तो कहा गया कि—
एक नहीं, दो नहीं, तीन मिलेंगे।

वह समाप्त हो गया तो कहा गया कि —
आज नहीं, कल नहीं, परसों मिलेंगे।
यह हालत जनता शासन की रही है।

श्री दलबीर सिंह (शहडोल) : संविधान के अनुच्छेद 206 का अनुसरण करते हुए वित्त मंत्री जी ने 1980—81 का जो बजट यहां प्रस्तुत किया है उसका मैं स्वागत करता हूं। इसको देखने से ऐसा पता चलता है कि उड़ीसा का बजट तो सन्तुलित बनाया गया है और महाराष्ट्र का फायदे का बनाया गया है लेकिन हमारे बजट में आठ करोड़ 65 लाख का घाटा दिखाया गया है। मैं समझता हूं कि इसका श्रेय पिछली जनता सरकार को जाता है। मैं सखलेचा जी के लिए जो जनता राज में वहां मुख्य मंत्री थे दो शब्द कहना चाहता हूं। इतिहास में आपको कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो अपने लड़के को अपना लड़का न कहता हो। लेकिन धन के लालच में श्री सखलेचा ने विधान सभा, भोपाल में जब उनके लड़के ओम प्रकाश का प्रकरण आया कि उनके लड़के ने दिल्ली शहर में एक करोड़ तीस लाख की बोली एक प्लाट के लिए लगाई थी तो यह कह दिया कि ओम प्रकाश नाम का मेरा कोई लड़का नहीं है। इतना ही नहीं पिछले वर्षों में श्री सखलेचा के नाबालिग लड़के के नाम से भोपाल में एक कोठी भी बनवाई गई है और उसके खिलाफ आयकर विभाग द्वारा कुछ कार्रवाई भी की गई थी। मैं इस सदन के माध्यम से मध्य प्रदेश के राज्यपाल से निवेदन करना चाहूंगा कि वह इस को भी देखें। इसको वह देखें कि सरकारी मशीनरी का कितना मिसयूज किया गया। एक विशेष विमान से श्री सखलेचा अपने परिवार के साथ नेपाल गए थे और वहां जा कर के वहां के बैंक में करोड़ों रुपये उन्होंने जमा कराए। भ्रष्ट तरीके की जो वहां पर प्रशासनिक व्यवस्था थी इसको भी राज्यपाल महोदय को देखना चाहिए। वहां पर मीसा बन्दियों के नाम से जिन लोगों ने दो दो दिन की जेल भी काटी थी उनको भी पच्चीस पच्चीस हजार रुपया दे दिया गया था और बिना ब्याज के उनको यह पैसा दिया गया। मैं समझता हूं कि इस सब का यह नतीजा है कि मध्य प्रदेश के बजट में आठ करोड़ से ऊपर का आपको घाटा दिखाना पड़ गया है। मैं कहूंगा कि यह जो पैसा बांटा गया है वह करोड़ों रुपया बांटा गया है, यह उन से वापिस लिया जाना चाहिए।

हमारे प्रदेश में 45 जिले हैं। अकाल-ग्रस्त क्षेत्रों के लिए पंद्रह करोड़ की व्यवस्था की गई

है। मैं समझता हूं कि हमारे प्रदेश में कोई एसा क्षेत्र नहीं है जो अभावग्रस्त क्षेत्र न हो। सारे जिले अभावग्रस्त हैं। हमारा जिला शहडोल तो सारे का सारा अभावग्रस्त है। हमारे यहां आदिवासियों ने गायों को मार कर खाया है और कुछ लोग तो उमरिया थाने में इस आरोप में बन्द हैं। इस जिले में राहत कार्य बड़े पैमाने पर चलाए जाने चाहिएं।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जितने भी मध्य प्रदेश में कोटेदार हैं, जितने भी फ्री सेल डीलर हैं वे सब आर० एस० एस० के लोग हैं। जब तक उनको निकाला नहीं जाएगा तब तक कुछ नहीं होगा।

इस बजट का मैं स्वागत करता हूं। पहले 504 करोड़ की योजना बनाई गई है। लेकिन प्लानिंग कमीशन के साथ चर्चा करने पर इसको बढ़ा कर 531 करोड़ कर दिया गया और उसको स्वीकृति दे दी गई। उस में केन्द्र की जो सहायता है वह 161 करोड़ की है। मध्य प्रदेश एक विशाल प्रदेश है। वह भारत का हृदयस्थल कहलाता है। मैं चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार की जो सहायता की राशि है इसको और भी बढ़ाया जाना चाहिए। वहां पर जितने भी आदिवासी क्षेत्र हैं, ग्रामीण अंचल है और जो जंगल हैं वहां पर साल सीड प्लांट लगाए जाने चाहिएं। साथ ही वहां पर जब तक छोटे छोटे उद्योगों की स्थापना नहीं की जाती है तब तक लोगों की गरीबी दूर नहीं हो सकती है। रिजर्वेशन को भी आपने बढ़ा दिया है। आपकी यह नीति है कि बजट का 22 प्रतिशत बैकवर्ड क्लासेज पर, आदिवासियों पर, हरिजनों पर खर्च किया जाए। आज तक जो कुछ भी हमने इन पर खर्च किया है उसको आप निकाल कर देखें, आपको वास्तविकता का पता चल जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि इतनी राशि उन पर खर्च की जा रही है या नहीं। इस ओर शासन को विशेष ध्यान देना चाहिए।

मेरा क्षेत्र नर्मदा नदी का उद्गम स्थान है। अमर कटक से यह निकलती है। मैं मध्य प्रदेश में विधायक रह चुका हूं। वहां पर विधान सभा में मैंने इस प्रश्न को उठाया था। वहां पर बालको की स्थापना की गई है। नर्मदा नदी का जहां पर उद्गम है वहां करोड़ों हिन्दुओं में इस वास्ते उत्तेजना फैली हुई है कि वहां पर उत्खनन कार्य चल रहा है। उसका जो इतना उत्खनन हो रहा है, वहां पर स्पेशल एरिया डैवलपमेंट अथौरिटी कायम की गई है, लेकिन राज्य शासन उसमें कोई कदम नहीं उठा रहा है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 8 किलो मीटर का जो रेडियस है, उसमें उत्खनन न किया जाये। मैंने राज्य शासन का इस ओर कई बार ध्यान - आकर्षित किया, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वहां से 8 किलोमीटर पर जो वाटर-फाल "कपिलधारा" है, वहां लाखों तीर्थयात्री स्नान करने आते हैं, लेकिन वहां पर उत्खनन की वजह से पानी का स्रोत नीचे चला जाता है, इसलिए 8 किलो मीटर के रेडियस में बाक्साइट खोदा ही न जाये। मेरा निवेदन है कि इस ओर कड़े कदम उठाये जायें, केन्द्रीय शासन की नीति को बदला जाये। वहां के पहले मुख्य मंत्री ने इस काम को बन्द कर दिया था, फिर अब केन्द्रीय सरकार ने एक मास बाद इसको शुरू कर दिया है। मेरा फिर निवेदन है कि 8 किलोमीटर के रेडियस में कोई उत्खनन न किया जाये, ताकि किसी प्रकार की क्षति न हो सके।

सिंचाई में जो 91 करोड़ रुपये आपने दिये हैं,..

सभापति महोदय : आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री दलबीर सिंह : सभापति महोदय, मैं बोलना तो और चाहता था, लेकिन अब मैं इस के साथ ही इस बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री एन० के० शेजवालकर (ग्वालियर) : सभापति महोदय, मुझे आज जो यह अवसर मिला है, उस के बारे में मैं प्रसन्नता व्यक्त करूं या खेद व्यक्त करूं, यह समझ में नहीं आ रहा है। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : आप को जो समय मिला है, उसका उपयोग कीजिए।

श्री एन० के० शेजवालकर : मैं इस समय दो गंभीर प्रश्न उपस्थित करना चाहता हूं : आज जो यह बजट प्रस्तुत करने का अवसर आया है, वह विधान सभाओं को भंग करने के कारण आया है। मेरा विनम्र निवेदन है कि यह विधान सभाएं असंवैधानिक रूप से भंग की गई हैं। कम से कम मध्य प्रदेश के बारे में तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि उसका भंग किया जाना बिल्कुल ही असंवैधानिक था। **(व्यवधान)**।

आप अगर मेरा तर्क सुनेंगे तो जो बात आप कह रहे हैं, शायद फिर से नहीं कहेंगे।

मेरा निवेदन है कि संविधान की जिस धारा के अन्तर्गत यह कार्यवाही की जाती है, उसमें लिखा है कि वहां पर कोई संवैधानिक संकट उत्पन्न हो या ला एण्ड आर्डर की सिचुएशन पैदा हो गई हो तो इन कारणों के आधार पर इस प्रकार से केन्द्र के द्वारा राष्ट्रपति शासन लागू किये जाने की उसमें व्यवस्था है। लेकिन आज वहां के जो राज्यपाल महोदय हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से पब्लिक घोषणा की थी कि इस प्रदेश के अन्दर न तो कोई संवैधानिक संकट उत्पन्न हुआ है और न ही यहां पर ला एण्ड आर्डर की स्थिति खराब है।

एक माननीय सदस्य : सन् 1977 में क्या हुआ था?

श्री एन० के० शेजवालकर : सन् 1977 में वहां के राज्यपाल ने कुछ और कहा होगा, यह नहीं कहा था।

इसके सम्बन्ध में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी हो चुका है।

18.00 hrs.

मैं एक और बात कहना चाहता हूं। यह संवधानिक संकट नौ राज्यों में तो आया, मगर दो राज्यों में, जहां पहले जनता पार्टी की सरकारें थीं—हिमाचल प्रदेश और हरियाणा, वहां यह संवैधानिक संकट टल गया। दूसरे राज्यों में एक दिन पहले ला एण्ड आर्डर की अच्छी व्यवस्था थी, लेकिन दूसरे दिन वह खराब हो गई। इससे स्पष्ट रूप से मालूम होता है कि इस कार्रवाई के पीछे विद्वेष की भावना काम कर रही थी।

आज हमारे देश में जो संविधान है, जिसके अन्तर्गत गणराज्य की व्यवस्था है, यदि उसको संशोधित कर दिया जाता है, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अगर यह निर्णय कर लिया जाता है कि राजनैतिक आधार पर ही सब बातों का निर्णय होगा, तो मुझे कोई चिन्ता नहीं है—मैं सहर्ष उसे स्वीकार कर लूंगा और फिर हम सब को पक्ष तथा विपक्ष में तर्क उपस्थित करने की आवश्यकता नहीं रहेगी।

अगर ऐसा नहीं किया जाता है, तो फिर ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है कि इन चुनावों के परिणाम-स्वरूप फिर कांग्रेस का बहुमत न हुआ, दूसरे किसी विरोधी दल का बहुमत हो गया, तो क्या फिर उन राज्यों में राष्ट्रपति का शासन लागू कर दिया जाएगा? या अगर बहुत से राज्यों में कांग्रेस का बहुमत हो गया, और किसी कारण लोक सभा के चुनाव दोबारा हुए, और कोई दूसरा दल सत्ता में आ गया, तो क्या फिर उन विधान सभाओं को भंग करना होगा? (व्यवधान) माननीय सदस्य कहते हैं कि इसके चांसिज ब्लीक हैं। 1977 में कहा जाता था कि हमारे सत्ता में आने के चांसिज ब्लीक हैं। इस बार हम भी कहते थे कि जनता पार्टी के अलावा किसी दूसरे दल की सफलता के चांसिज नहीं हैं, लेकिन हमको सबक सीखना पड़ा। मैं एक गम्भीर प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं। किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को सब बातों पर पहले से विचार कर लेना चाहिए। हमें इस संवैधानिक सवाल पर विचार करना चाहिए कि क्या ऐसे मामलों पर राजनैतिक आधार पर निर्णय किया जायेगा।

विधान सभाओं को भंग करने से पहले श्रीमती इन्दिरा गांधी ने, जो आज प्रधान मंत्री हैं, कहा कि मध्य प्रदेश में ला एण्ड आर्डर की सिचुएशन खराब है। उन्होंने यह भी कहा कि केन्द्रीय सरकार को बदनाम करने के लिए वहां जबरिया नसबन्दी कराई जा रही है। इस स्टेटमेंट को खुल्लम-खुल्ला चैलेंज किया गया। हमारे मुख्य मंत्री ने एक प्रेस कान्फ्रेंस में इसका प्रतिवाद किया। आज तक उस स्टेटमेंट को सबस्टैंशिएट करने की कोशिश नहीं की गई है। अगर यह निर्णय कर लिया जाये कि केवल राजनैतिक आधार पर इन बातों का निर्णय लिया जायेगा, तो फिर कोई चिन्ता की बात नहीं है। मैं बहुत विनम्रता के साथ यह भी निवेदन करूंगा कि अगर किसी ने एक गलती की है, तो उस गलती को दोहराना या उसका समर्थन करना उचित नहीं है।

मैं एक दूसरा प्रश्न उपस्थित करना चाहता हूं। संविधान में इस बात की कोई मुमानियत या मनाही नहीं है कि किसी विधान सभा के भंग होने के बाद उस राज्य का बजट संसद में प्रस्तुत न किया जाये। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह उचित नहीं है कि पहले विधान सभा को भंग करने का प्रोक्लेमेशन सदन के द्वारा स्वीकार किया जाये और फिर राज्य का बजट लाया जाये। क्या यह प्रोप्रायटी नहीं है? मैं एक ऐकैडेमिक प्रश्न उठाना चाहता हूं कि अगर प्रोक्लेमेशन इस सदन के द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है, तो फिर इन सब बजटों की क्या स्थिति होगी।

मैंने पहले ही स्पष्ट किया है कि संविधान में ऐसी मनाही नहीं है कि प्रोक्लेमेशन के स्वीकार होने के बगैर यहां पर राज्य का बजट पेश नहीं हो सकता है, लेकिन मैं समझता हूं कि यह आवश्यक, उचित और न्यायोचित है कि पहले प्रोक्लेमेशन को स्वीकार करा लेना चाहिए था। इस बारे में कोई जल्दी नहीं थी। वोट आन एकाउण्ट दो रोज बाद आ सकते थे। अभी मार्च का समय बाकी है। लेकिन यह क्यों नहीं किया, यह बात मेरी समझ में नहीं आती है। यह बात उचित नहीं है। पहले प्रोक्लेमेशन का एपरूवल होना चाहिए था। इन दो बातों की ओर ध्यान दिलाने के पश्चात् मैं कोशिश करूंगा कि जो मेरे मित्रों ने बात कही है उसकी रिपीट न करूं लेकिन मध्य प्रदेश के बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। 1956 में मध्य प्रदेश बना। तो वह एक रेजिड्युअरी स्टेट के रूप में बना। महाराष्ट्र बन गया मराठी भाषा के आधार पर, गुजरात बन गया गुजराती भाषा के आधार पर, और दूसरी स्टेट्स बन गईं। उत्तर प्रदेश में से कुछ हिस्सा काट नहीं सके। जो बाकी बचा वह मध्य प्रदेश बना। लेकिन मैं यह कहूंगा कि किसी कारण यह सौभाग्य है मध्य प्रदेश का कि यह एक इस प्रकार का प्रदेश है जिस के अन्दर सब प्रकार की सम्पदाएं हैं। खनिज सम्पदा है, एक तिहाई के लगभग फारेस्ट का एरिया है, अनेक नदियां हैं जमीन अच्छी है, तरह तरह के मिनरल्स हैं, वहां हीरा तक मिलता है, लोहा बहुत है, कोयला बहुत है, लकड़ी के अच्छे अच्छे लम्बे फारेस्ट्स हैं। इतने सब रिसोर्सिज के होने के बाद भी आज मध्य प्रदेश की स्थिति इस प्रकार है कि मध्य प्रदेश में लगभग 74 फीसदी लोग आज की तारीख में गरीबी की रेखा के नीचे हैं। यह क्यों हुआ? अभी कुछ दिन पहले प्रधान मंत्री महोदया का एक स्टेट-

मेंट आया कि तीन महीने में जो बिगाड़कर रखा है उस तीन महीने की बिगड़ी हुई एकोनामी को हम एकदम से कैसे सुधार सकते हैं? मैं ऐसा ही सवाल उन से करूं कि तीन साल तक जिस एकोनामी को उन्होंने बिगाड़ कर रखा उस को तीन महीने में या दो साल में कैसे सुधारा जा सकता था ? मैं याद दिलाना चाहता हूं, 1974 में मध्य प्रदेश में एक स्थिति इस प्रकार की आ गई थी कि वहां पर एम्प्लाईज को वेतन का चेक देने के लिए गवर्नमेंट के पास रुपया नहीं था । 29 अप्रैल, 1974 को गवर्नमेंट की ट्रेज़री में एम्प्लाईज को तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं था । उस दिन प्राईवेट बोर्ड्स, एलेक्ट्रिसटी बोर्ड्स और एजूकेशन बोर्ड्स इन लोगों से 6 करोड़ रुपया बैंक में इकट्ठा करवाया गया । फाइनेन्स सेक्रेटरी की ओर से काफ़ी जोर डाल कर यह पैसा इकट्ठा कराया गया । श्री एम० ए० राव का इस सम्बन्ध में एक प्रकाशन हुआ है उसी साल 1974 में एम पो क्रानिकल में उस को देखा जा सकता है । यह स्थिति उस प्रदेश की बना दी गई जिस के अन्दर इतने रिसोर्सेज थे, इतनी सम्पदाएं थीं । उस के बाद भी इस प्रकार की बैंकरप्सी की स्थिति वहां बना दी और उस समय प्रकाश चन्द्रसेठी जी मुख्य मंत्री थे 1974 में, उस समय यह स्थिति थी ।

इस के पश्चात् जो कुछ हुआ, परिवर्तन आया, परिवर्तन के बाद मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश के अन्दर तमाम सिंचाई योजनाएं लागू कर दी गईं । एलेक्ट्रिफिकेशन का जहां तक प्रोग्राम था 200 करोड़ रुपये का .... (**व्यवधान**)... आप की स्कीम होगी, लेकिन आप कर नहीं पाए, वह हम ने किया । दो सौ करोड़ रुपये की इलेक्ट्रिफिकेशन की स्कीम थी, 1 हजार से ऊपर वाले जितने गांव हैं, उन में से 83 प्रतिशत गांवों के अन्दर दो साल के अन्दर बिजली पहुंच गई। एक हजार से ऊपर की आबादी के गांवों की बात कर रहा हूं और यह दो साल के अन्दर ही हुआ है । जिन 83 प्रतिशत विलेजेज का एलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है उसमें से लगभग 50 प्रतिशत इन दिनों के अन्दर हुआ है ।

इसी तरह स्कूल बिल्डिंग्स की बात है । एक हजार से ऊपर की आबादी वाले स्थानों की बात कर रहा हूं, वहां प्राइमरी स्कूलों की बिल्डिंग्स नहीं थीं। मैं बता सकता हूं, अकेले ग्वालियर जिले में 85 स्थान ऐसे थे जिन में प्राइमरी स्कूलों की बिल्डिंग्स पिछले दिनों में बनाई गई । इसी तरह और दूसरे स्थानों पर भी बनाई गई ।

मेरे मित्र ने राहत की योजना की तरफ ध्यान दिलाया । मैं इस सम्बन्ध में मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि यह 15 करोड़ रुपये की राशि जो इस के लिए निर्धारित की है यह बहुत कम है । इस के साथ ही मैं यह कहना चाहता हूं कि लोगों को राहत और दूसरे कार्यों से भी मिलती है । जो एलेक्ट्रिफिकेशन के काम है या इरीगेशन के काम हैं, सड़कें बनाने का काम है, इन कामों को भी अगर साथ साथ चालू नहीं किया और इन का इम्प्लीमेंटेशन रोक दिया तो मध्य प्रदेश की स्थिति बहुत भयंकर होगी । मैं आप की कल्पना में यह बात लाना चाहता हूं कि इन जिलों के अन्दर बारिश नहीं हुई है, कुओं का पानी खत्म हो गया है । अभी तक तो थोड़ा थोड़ा पानी खींच कर लोग काम चलाते थे । आपके पास मशीनें जो हैं, सेठी जी ने कहा था कि मशीनें देने वाले है और बाहर से भी मशीनें मंगायेंगे लेकिन पता नहीं, कब मंगायेंगे । अगर वहां पर जल्दी से मशीनें नहीं गई तो स्थिति बहुत खराब हो जायेगी । छत्तीसगढ़ में तो बहुत से लोग गांवों को छोड़ कर पहले ही चले गए हैं और आगे दूसरी जगहों से भी लोग गांव छोड़ कर चले जायेंगे क्योंकि वहां पर पीने के पानी का कोई प्रबन्ध नहीं है । इसलिए आप इस स्थिति को बहुत गम्भीरता से लें । 15 करोड़ के प्रावधान से कुछ नहीं होगा ।

कर्मचारियों की नियुक्ति को जहां तक बात है, इसमें विद्वेष की भावना से लोगों को इधर से उधर डाला गया है । मेरी किसी भी अधिकारी में रुचि नहीं है लेकिन मैं चाहता हूं कि जो राहत कार्य चल रहे है, जो कल्याणकारी योजनायें चल रही हैं, उनको चलते रहना चाहिए क्योंकि इसका लाभ ग्रामीण बन्धुओं को मिलेगा । अभी एक भाई कह रहे थे कि 22 प्रतिशत धनराशि इस के लिए निर्धारित की गई है लेकिन वे इस बात को भूल जाते हैं कि मध्य प्रदेश में हरिजनों की आबादी 13.1 प्रतिशत है और आदिवासियों की आबादी 20.1 प्रतिशत है —इस प्रकार से उनकी आबादी 33 प्रतिशत बनती है । 33 प्रतिशत आबादी के लिए अगर 22 प्रतिशत राशि ही खर्च की जाए तो वह बहुत कम है, यह राशि 33 प्रतिशत नहीं बल्कि 40 प्रतिशत होनी चाहिए । जब आप उनको पिछड़ा वर्ग मानते हैं तो उनके हित के लिए योजनायें बना कर ज्यादा से ज्यादा रकम खर्च की जानी चाहिए ।

इसी तरह से मैं संक्षेप में बतलाना चाहता हूं कि आपने राजनीतिक बदला हम से तो लिया, वह कोई बात नहीं है आप बदला लीजिए लेकिन आप कम से कम उन कर्मचारियों से बदला मत लीजिए जिनका वेतन बढ़ाया गया है, मंहगाई भत्ता बढ़ाया गया है । (**व्यवधान**) सभी कर्मचारी आर एस एस के नहीं है । जिन कर्मचारियों का वेतन भत्ता बढ़ाया गया है उनसे आप बदला न लें । विरोध की भावना से आप उनको बन्द मत करें । बेरोज़गार युवक मण्डल जो है, उस के लिए जो प्रावधान किया गया है उसमें भी आप कृपा करके कटौती न करें, उसको इम्प्लीमेण्ट करने की कोशिश करें । मैं आप से यही निवेदन करना चाहता हूं कि राजनीतिक दृष्टिकोण न अपना कर, आवश्यकता के अनुरूप जो निर्णय पहले हुए हैं उनको आप जारी रखें। अब मैं कुछ थोड़ा सा रिसोर्सेज के बारे में कहना चाहता हूं.... (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : उन की तरफ़ से दो ही बोलने वाले हैं, इस लिए उन को थोड़ा ज्यादा समय दिया गया है ।

श्री एम० के० राजबलकर : मान्यवर, मैं फिर एक बात की तरफ़ आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं—आज हमारे यहां जो फारेस्ट रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज को अच्छी तरह से टैप नहीं किया जा रहा है। आप यदि उन को अच्छी तरह से टैप करेंगे तो प्रदेश की आय में बढ़ोत्तरी हो सकती है। आज हमें "तेंदू" के पत्ते से बहुत कम आय हो रही है, करीब 13 करोड़ आय होती है, यदि हम उस की ठीक से व्यवस्था करें तो उस से आय बढ़ सकती है। आज जिस तरह की व्यवस्था है उसमें ठेकेदार लोग सब खा जाते हैं, गरीब आदिवासी जो पत्ते इकट्ठा कर के लाता है उस को पूरा पैसा नहीं मिलता है। सरकारी कर्मचारी इस काम को कितना कर पायेंगे, मुझे विश्वास नहीं है, लेकिन आप को उस की ठीक से व्यवस्था करनी चाहिये।

इसी तरह से मिनरल्ज और बाक्साइट की बात है। बाक्साइट से 1.2 करोड़ रुपया, कोयले से 76.3 करोड़ रुपया, डायमण्ड्स से 1.2 करोड़ रुपया और आयरनओर से 19.7 करोड़ रुपये की उपलब्धि हो पा रही है। इन के रिसोर्सेज बढ़ जाये तो इन से प्रदेश की आय बढ़ेगी और वहां गरीबी मिटाने में मदद मिलेगी। मध्य प्रदेश एक तरह से रेसीड्यरी स्टेट बना, लेकिन उस के पास इतनी वन सम्पदा और इरिगेशन के साधन हैं कि उनका सही उपयोग किया जाय, तो प्रदेश को बहुत लाभ पहुंच सकता है। इरिगेशन की स्कीमों को क्लिअर कीजिए, इन से मध्य प्रदेश में अनाज की पैदावार बढ़ सकती है, बिजली पैदा हो सकती है और वह प्रदेश खुशहाल हो सकता है। लेकिन यह तभी सम्भव है, जब कि आप कुछ करना चाहें। मैं आग्रह करूंगा कि आप इन की तरफ ध्यान दें और कुछ करें।

MR. CHAIRMAN: Shri Thakur Shivkumar Singh. He is not here.

Kumari Pushpa Devi Singh.

KUMARI PUSHPA DEVI SINGH: (Raigarh): Mr. Chairman, Sir, I welcome the State's Budget for 1980-81. I come from a backward area of Madhya Pradesh, my constituency being a Scheduled Tribes area. I would like to draw your attention to the problems of my constituency.

As there is sufficient provision for the tribals, harijans and the weaker sections, I strongly feel that the 20-point programme should be implemented more effectively and sufficient funds should be provided because through this we could raise the living standards of the people, especially the weaker sections of the society and for their economic uplift.

The allotment given to the tribal areas should not lapse and should be utilised properly. The immediate task in my area is to provide relief to the drought-affected people. The relief work which was closed by the previous Government should be revived immediately.

There is also a great need to improve the distribution and supply system of foodgrains and other essential commodities.

Top priority should be given for drinking water in the scarcity areas to avoid complication in the coming summer.

There is no major irrigation project in my tribal district of Raigarh. The Kelo project was proposed by the Government in 1976. It will cover 221 villages of the district. It was kept pending by the previous Government. At present it is pending before the Central Water Commission. I request an early clearance and an expeditious action on it, because, if this irrigation project is completed, it will be a great boon to thousands of farmers in my constituency.

The law and order situation is improving in the country and confidence is created in the masses, but I, request you, Sir, that more funds should be provided for the protection of the tribals, harijans and other minorities.

There is a vast unemployment problem in my constituency, and I think that this should be minimised by starting a major industry. I think that one reason for unemployment is due to growing population which should be checked not by force but by persuasion.

The Departmental Telegraph Office in Raigarh was included in the last Budget but no work has been started. I request early action.

In regard to Education, accommodation problem is alarming in my district for tribal students' hostels. I request that more funds should be provided for this purpose. I hope, Sir, that all these points will be taken into consideration, for taking action. Thank you.

श्री गोविंद प्रसाद अनुरागी (बिलासपुर) : सभापति महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत मध्य प्रदेश के 1980-81 के बजट का मैं समर्थन करता हूं। मैं इस अवसर पर विशेष तौर से आप का ध्यान राहत कार्यों की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। मैंने अभी हाल में बिलासपुर जिले के 9 विधान सभाई क्षेत्रों का दौरा किया और मुझे मालूम हुआ कि 99 प्रतिशत जो चावल और शक्कर उठाते हैं—वे जनसंघी एजेन्ट हैं। जो शक्कर और चावल हमारे मजदूरों और किसानों के लिए आता है, वह उन तक नहीं पहुंच पाता, बीच में ही ब्लैक में चला जाता है और ये जनसंघी लोग

बीच में ही बिक्री कर के उस को खा जाते हैं।

सभापति महोदय, आज हमारे प्रदेश में भयंकर अकाल पड़ा हुआ है और इन जनसंघियों के अत्याचारों के कारण हमारे प्रदेश के, हमारे जिले के, लोग भूखों मर रहे है। यह दुर्भाग्य की बात है कि पिछले प्रधान मंत्री, दल बदलू प्रधान मंत्री श्री चरण सिंह से हम लोगों ने निवेदन किया था और जनसंघ के मुख्य मंत्री श्री सकलेचा और श्री पटवा से हमने निवेदन किया था कि हमारे प्रदेश में राहत कार्य खोले जाएं क्योंकि वह अकालग्रस्त राज्य है। अकाल के कारण हमारे जिले से 7 लाख आदमी अपना दरवाजा बन्द कर के अपनी भैंसें और बरतन बेच कर दूसरे प्रदेशों में जीविकोपार्जन के लिए चले गये और छोटे छोटे रोते हुए बच्चों को ले कर घर से निकल पड़े और यहां पर जन संघ और भूतपूर्व प्रधान मंत्री आंखों से इस को देखते रहे और कोई राहत कार्य नहीं खोले। आज भी भयंकर अकाल में हमारा प्रदेश है। हमारे यहां जिला स्तर पर जन संघ के अधिकारी हैं और वे राहत कार्य उस समय वोट लेने के लिए खोले गये और वहां पर मजदूरों ने काम किया लेकिन आज तक उन मजदूरों को भुगतान नहीं किया गया है। केवल वोट लेने के लिए उन्होंने ऐसा किया था लेकिन असली काम वहां पर कुछ नहीं हुआ। अब जबकि श्रीमती इन्दिरा गांधी की केन्द्र में सरकार बनी, तो पद ग्रहण करते ही इन्होंने तुरन्त राहत कार्य खोलने के लिए कहा है और हमारे यहां के लोगों को पूरी आशा और विश्वास था कि अगर इन्दिरा जी भारत की प्रधान मंत्री बनेंगी, तो हमारे प्रदेश में और हमारे जिले में राहत कार्य खोले जाएंगे। परिणाम यह निकला कि लोगों ने कांग्रेस (आई) को वोट दिया और जैसे ही श्रीमती इन्दिरा गांधी प्रधान मंत्री बनीं, मध्य प्रदेश में तत्काल युद्ध स्तर पर राहत कार्य खोल दिये गये और इस से वहां के लोगों में काफ़ी सन्तोष है। वे राहत कार्य काफ़ी सन्तोषजनक चल रहे हैं और हमें ऐसा विश्वास है कि श्रीमती इन्दिरा गांधी एक भी आदमी को भूखा नहीं मरने देंगी और नई फ़सल के आने तक राहत कार्य चलते रहेंगे।

अब मैं आपका ध्यान सिंचाई की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। हमारा क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र है। मरवाही में सोन नदी है। उस का सर्वे करा कर तत्काल काम शुरू किया जाए जिस से वहां के लोगों को सिंचाई के साधन मिल सकें। इसी तरह से आगरहाप परियोजना और मुंगली का भी तुरन्त सर्वे कराया जाए क्योंकि बहुत सा पानी समुद्र में बह कर बेकार चल जाता है जब कि हमारे प्रदेश में सिंचाई के साधन बहुत कम हैं।

आप को यह जान कर आश्चर्य होगा कि हमारे प्रदेश में केवल 12 से 15 प्रतिशत ही सिंचाई होती है। मैं आप के माध्यम से वित्त मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकृष्ट करूंगा और निवेदन करूंगा कि जब कि पंजाब, हरियाणा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आन्ध्र, कर्नाटक और गुजरात आदि प्रान्तों में 50 प्रतिशत सिचाई के साधन हैं, हमारे मध्य प्रदेश का यह दुर्भाग्य है कि वहां पर केवल 12 से 15 प्रतिशत ही सिंचाई होती है। मैं यह फिर से निवेदन करना चाहता हूं कि मरवाही में सोन नदी का तत्काल सर्वे कराया जाए और युद्ध स्तर पर यह काम चालू होना चाहिए। इसके अलावा फूटाधार बांध और खुरिया बांध में 80 प्रतिशत जो सिचाई होती है, उस से 100 प्रतिशत सिचाई की जा सके, इस के सक्षम बनाया जाए।

सभापति महोदय, इसी तरह से एक बिलासपुर जिला है उस जिले में पुल का निर्माण होना चाहिए। दूसरा निवेदन है कि हमारे यहां रायगढ़ जिला है, सारंगगढ़ स्टेट है। सूर्यनारायण के बीच में महानदी में भी पुल का निर्माण होना बहुत जरूरी है।

सभापति महोदय, आपने हमें समय दिया, इस के लिए मैं आपका आभारी हूं।

श्री मोती लाल सिंह (सीधी): आदरणीय सभापति महोदय, मध्य प्रदेश का जो बजट पेश किया गया है, मैं उस का समर्थन करता हूं। हमारे मध्य प्रदेश के अन्दर एक बहुत ही पिछड़ा जिला है सीधी। यह मध्य प्रदेश के पूर्वी किनारे पर स्थित है और बहुत ही पिछड़ा है। वहां पर आवागमन के साधन नहीं हैं, सड़कें नहीं हैं, रेलवे लाइन भी नहीं है। मध्य प्रदेश के इस जिले में पर्याप्त मात्रा में कोयला है। अगर कोयले की खानों का दोहन किया जाए तो वहां का बहुत विकास हो सकता है।

आवागमन के क्षेत्र में वहां पर रेलवे लाइन का शायद सर्वे हो चुका है लेकिन उस पर अभी तक काम नहीं शुरू हुआ है। सिंचाई के क्षेत्र में भी वहां कोई योजना नहीं बनाई गई है। वहां भिन्न भिन्न नदियां हैं। गोपद नदी है। अगर इस नदी का सर्वे करके कोई सिंचाई योजना चालू कर दी जाए तो उस क्षेत्र का विकास होना असंभव नहीं है।

सिंगरौली की कोलियरीज में हिन्दुस्तान का सब से अच्छा कोयला मिलता है। अगर वहां पर आवागमन के साधनों की सुविधा हो जाए तो उससे भी वहां के विकास में सहायता मिलेगी।

सीधी जिला शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत पिछड़ा हुआ है। वहां आज तक कोई पोस्ट-ग्रेजुएट कालेज नहीं खुल पाया है। अगर उस जिले में ट्राइबल प्रोजेक्ट्स चालू कर दिये जाएं तो वहां का विकास हो सकता है। वह एक पूर्णरूपेण आदिवासी क्षेत्र है।

श्री चक्रधारी सिंह (सरगुजा): सभापति महोदय, वित्त मंत्री महोदय द्वारा जो बजट सदन में रखा गया है उसका हम बहुत खुले दिल से स्वागत

[श्री चक्रधारी सिंह]

करते हैं। परन्तु इसमें कुछ संशोधन चाहते हैं और कुछ सुझाव भी देना चाहते हैं। वे सुझाव मेरे विचार में बहुत ही उपयोगी है और खास कर हमारे जिले के लिए तो बहुत ही उपयोगी हैं।

अभी जो बजट रखा गया है और जिस क्षेत्र से, सरगुजा से मैं चुनकर आया हूं उस सरगुजा जिले के विकास के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। मैं समझता हूं कि आज तक वहां के डवलपमेंट के लिए कोई सुझाव नहीं रखा गया जिससे उस जिले का विकास हो सके, प्रगति हो सके। इस दिशा में मैं सदन को जानकारी देना चाहूंगा। अपने जिले की परिस्थितियों और समस्याओं के बारे में थोड़े से शब्दों में बताना चाहूंगा।

हमारे जिले की प्रमुख समस्या है कि हमारे जिले को अन्य प्रदेशों से या अन्य जिलों से जोड़ने के लिए कोई बस सेवा समुचित रूप से नहीं है या रेल मार्ग ऐसा नहीं हो पाया है जिसके द्वारा हम एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में सुगमतापूर्वक आ जा सकें। इस तरीके से आवागमन की सुविधा अभी तक नहीं हो पाई है।

सरगुजा जिले का मुख्यालय अम्बिकापुर है, वहां से एक सड़क बनारस के लिए जा रही थी जो निर्माणाधीन है, परन्तु वह सड़क अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। इसके बारे में विशेष ध्यान दिया जाये।

मैं एक जानकारी इस सदन को और देना चाहता हूं, मैं इसे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के अन्तर्गत लाना चाहता था, परन्तु क्योंकि अब समय मिला है, मैं कहना चाहता हूं कि सरगुजा में विश्रामपुर जो कोलरी है, उसमें जो कोयले का प्रोडक्शन होता है, वह ओपन कोलरी है, बाहर कोयला पड़ा रहता है, पिछले गत एक वर्ष से उस कोयले में आग लगी हुई है जो आज तक जलती आ रही है। जब मैं अम्बिकापुर गया था तो मैं उस कोलरी का निरीक्षण करने भी गया। वहां अभी भी आग लगी हुई है और हजारों, लाखों टन कोयला बेकार हो रहा है। वहां यह भी पता लगा कि वैगन्स की शोर्टेज है। वास्तविकता तो यह है कि वहां के जो अधिकारी हैं, वह इतने निकम्मे सिद्ध हुए हैं कि उनके कारण वैगनों में कोयले को डिस्पैच नहीं किया जा रहा है। जितना भी और कोयले का प्रोडक्शन किया जाता है, वह उस जलते हुए ढेर पर डाल दिया जाता है, इस तरह से करोड़ों रुपये का नुकसान हो रहा है इसके कारण हमारे देश की आर्थिक प्रगति अवरुद्ध हो गई है।

मैं एक सुझाव इस बजट प्रस्ताव में और देना चाहता था, क्योंकि हम एक आदिवासी जिले से चुनकर आये हैं, वहां जब भुखमरी का समय होता है तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है ताकि तत्काल उनको सहायता दी जा सके। मेरा निवेदन है कि ऐसी व्यवस्था इस बजट में प्रावधान करके करनी चाहिए कि तत्काल उनको सहायता, आवश्यकता पड़ने पर दी जा सके।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि सरगुजा एक जंगली इलाका है, जहां जंगलों में पहले बहुत से बांस होते थे। उन बांसों को काटकर वहां के निवासी छोटी-छोटी उपयोगी चीजें बनाकार अपनी जीविका का उपार्जन किया करते थे। परन्तु उन बांसों को काटकर बाहर भेज दिया गया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर बांसों का प्लान्टेशन कराना चाहिए। 2, 3 साल में बांस तैयार हो जायेंगे और वहां के निवासी जरूरत के समय में उनसे उपयोगी चीजें बनाकर अपना जीविकोपार्जन कर सकेंगे।

वहां पर एक थर्मल पावर स्टेशन पहले से बना हुआ था विश्रामपुर में। उसको दूसरी जगह ट्रांस्फर कर दिया गया है। वह एक पिछड़ा हुआ जिला है, वहां जो विकास के साधन हैं, उनको भी वहां से हटा दिया गया है। वहां पर जो फर्टीलाइजर की फैक्टरी थी, उसको भी हटा दिया गया है। मेरा निवेदन है कि इस बजट में उस प्रदेश के विकास के लिए कुछ ऐसे प्रावधान किए जायें जिससे वहां के निवासियों को लाभ हो, लेकिन वहां जो साधन पहले से थे उनको भी हटा दिया गया है। मेरा निवेदन है कि मंत्री महोदय इस ओर ध्यान दें।

श्री विजय कुमार यादव (नालन्दा) : मध्य-प्रदेश के बजट पर चर्चा के समय मध्य प्रदेश के सुखाड़ की बड़ी चर्चा की गई है। अभी हमारे ट्रेजरी बैंचेज के एक माननीय सदस्य ने कहा कि उनको यह आशा थी कि जब श्रीमती इन्दिरा गांधी हिन्दुस्तान की प्रधान मंत्री होंगी तो राहत के कार्य काफी चलेंगे और मध्य प्रदेश में कोई भी व्यक्ति भूख से नहीं मरेगा। इस सिलसिले में जो टैलीग्राम इस सदन के भूतपूर्व माननीय सदस्य श्री होमी दाजी ने हमारे कम्युनिस्ट ग्रुप के नेता श्री इन्द्रजीत गुप्त को भेजा है, मैं वह पढ़कर सुना रहा हूं।

"DRAUGHT AND FAMINE CRITICAL HALF POPULATIONS AFFECTED RELIEF WORK MOCKERY PAYMENT IRREGULAR STARVATION DEATHS BEGUN EXAMPLE VISHAL LODHI VIRAJ PIPARIA DISTRICT PANNA AND HARCHARYA CHAMAR VIRAJ ATANYA DISTT PANNA DIED STARVING ONE MONTH—HOMIDAJI"

यही नहीं, **टाइम्स आफ इंडिया** के कारेस्पोंडेंट ने उस इलाके में घूमने के बाद इसी तरह की एक रिपोर्ट तैयार की है, जो 11 तारीख के **टाइम्स आफ इंडिया** में छपी है।

जब कभी अकाल या सुखाड़ की स्थिति हो तो हम सब का यह फर्ज हो जाता है कि हम दलगत राजनीति से ऊपर उठें। अगर आपके शासन में जनता भूख से मर रही है, उसको रोजी रोटी नहीं मिल रही है, हजारों नहीं लाखों की तादाद में लोग गांव छोड़कर बाहर जा रहे हैं. ऐसी स्थिति में भी अगर आप सच बात को मानने के लिए तैयार न हों, क्योंकि इससे आप पर एसपर्शन होता है, तो यह उचित नहीं है। आम तौर पर सरकार की ओर से यह जवाब दिया जाता है कि इस तरह की मौतें नहीं हुई हैं, लोग बीमारी से मरे हैं। अगर मंत्री महोदय ने इस तरह का जवाब देना है, तो मैं उनको चैलेंज करता हूं और मांग करता हूं कि सदन की एक कमेटी बनायी जाय और उसके जरिये इस मामले की जांच करायी जाये।

मैं एक और बात कहना चाहता हूं, जिसकी चर्चा अखबारों में हो रही है। शासक दल के एक बहुत ही प्रभावशाली माननीय सदस्य हैं, उनके जोर से यहां के एक दूसरे माननीय सदस्य वेस्टर्न कोलफील्डज के हैडक्वार्टर को नागपुर से शिफ्ट कर के छिंदवाड़ा ले जा रहे हैं। अखबारों में इस बारे में काफी टिप्पणियां की जा रही हैं। इसके साथ ही वहां के आफिसर्ज, एम्पलाईज और आम जनता में इस सवाल को लेकर भयंकर असंतोष है। पता नहीं क्यों इस तरह की बात की जा रही है और इसका क्या औचित्य है। इसका औचित्य तो यहीं हो सकता है कि किसी पार्टिकुलर माननीय सदस्य का शासन के किसी पार्टिकुलर मिनिस्टर या उनके लोगों के साथ गहरा सम्बन्ध है इस लिए वह उस हैडक्वार्टर को उस इलाके में ले जाना चाहते हैं।

वहां के खेत-मजदूरों और आदिवासियों के सामने बेरोजगारी, मिनिमम वेजिज और जमीन की समस्या है। ये सारी समस्यायें ज्यों की त्यों पड़ी हुई हैं। आप जनता पार्टी को एक्यूज करते हैं लेकिन आपको तीस वर्ष तक हुकूमत करने का मौका मिला, श्रीमती इन्दिरा गांधी को 11 बरस प्रधान मंत्री रहने का मौका मिला और फिर भी देश के आधे से ज्यादा हिस्से में अकाल और सुखाड़ की स्थिति है। उसके बाद भी आप कहते हैं कि आपको और ज्यादा मौका मिले। मैं नहीं समझता कि किसी पार्टी को इन समस्याओं से लड़ने के लिए कितना समय चाहिए।

श्री काली चरण शर्मा (भिन्ड) : सभापति महोदय, मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस समय ग्वालियर डिविजन में भयंकर सूखा है। लेकिन दतिया जिले में गत वर्ष ओले पड़ने के कारण भुखमरी जैसी स्थिति है। वहां पर सरकार के राहत-कार्य बहुत कम चल रहे हैं। वहां पर अधिक तादाद में राहत-कार्य खोले जायें और अनाज की व्यवस्था कराई जाये।

हमारे जिले में एक-एक बीघा, आध-आध एकड़, दो-दो एकड़ के छोटे-छोटे काश्तकार हैं। उनके दस पन्द्रह परिवार के लोग हैं। उनके सामने जीवन यापन की समस्या है। इसलिए हमारे जिलों में पशुपालन पर अधिक खर्च किया जाय ताकि एक बीघे, दो बीघे का काश्तकार अपनी और अपने परिवार की गुजर कर सके। सरकार एकदम सभी को नौकरी नहीं दे सकती है। इसलिए उसके लिए साधन जुटाए जाएं। हमारे यहां जो नहरें हैं उनमें पानी नहीं है, इसलिए वहां कनेरा में लिफ्ट स्कीम जो चम्बल से मंजूर की गई है उसको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाये और उसके लिए धन दिया जाये। वित्त मंत्री जी का ध्यान मैं इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

हमारा ग्वालियर डिवीजन उद्योग की दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ है। लाल बहादुर शास्त्री जी के समय में ग्वालियर–इटावा ब्राडगेज लाइन के लिए स्कीम बनी थी, रेलवे बोर्ड ने कई बार उसका सर्वे भी किया लेकिन आज तक काम शुरू करने के बारे में कोई निर्णय नहीं हुआ। हमारे यहां बसों में और नैरो गेज लाइन की जो रेलें हैं उनमें छतों पर बैठकर सवारियां चलती हैं। बसों में घनी आबादी होने के कारण भेड़ बकरियों की तरह भर कर लोग जाते हैं। यातायात के साधनों का वहां अभाव है। वहां का किसान काफी मजबूत और परिश्रमी है। अगर दो-दो बीघे के किसान के लिए एक भैंस खरीदने के लिए कर्ज सरकार दे तो कोई वजह नहीं है कि वह उससे अपना जीवन निर्वाह न कर सके।

हमारे डिवीजन में ऐसे बहुत से लोग हैं जो मजदूरी नहीं कर सकते, वे चोरी और डकैती कर सकते हैं अथवा दूसरे काम कर सकते हैं। उनके पास जमीन है, मकान है, सरकार उन्हें कर्ज दे और एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि किसान के लिए हमारे देश में कम ब्याज पर कर्ज नहीं दिया जाता है। उद्योगों को उसके मुकाबले में कम ब्याज पर कर्ज दिया जाता है। हमारा किसान उस मामले में हिसाब ठीक से नहीं जानता। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि कम ब्याज पर किसानों को और छोटे वर्ग के लोगों को कर्ज दिया जाय। हमारे जिले की जो समस्याएं हैं वह काफी गंभीर हैं और हमारे प्रदेश के दूसरे जिलों को भी नुकसान पहुंचाने वाली हैं। हमारे जिले के लोगों को उद्योग की बहुत आवश्यकता है वरना वही पुरानी डकैती की समस्या चालू हो सकती है मैं कहना चाहूंगा जैसा कि अभी सदस्य महोदय श्री शेजवलकर ने कहा, मध्य प्रदेश में शान्ति

[श्री काली चरण शर्मा]

व्यवस्था ठीक नहीं है। हमारे भिंड जिले की लहार और दतिया जिले की स्यौंडा तहसील में आज भी सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। वहां गांवों में आज भी डाकुओं का राज है। इसलिए आज वहां मजबूत अधिकारियों की जरूरत है जो कंट्रोल कर सकें। आज से तीन वर्ष पहले हमारे जिले में शान्ति और व्यवस्था थी। लेकिन डेढ़ साल से वहां सरकार नाम की कोई चीज नहीं दीखती है। इसलिए मैं चाहूंगा कि गृह मंत्री जी राज्यपाल के मार्फत ऐसे मजबूत अधिकारी वहां भेजें जो कंट्रोल कर सकें। अभी छोटे से गैंग तैयार हो रहे हैं, उनको जल्दी से कंट्रोल में लाया जा सकता है लेकिन अच्छे अधिकारी के जरिए यह काम संभव है। इसलिए सरकार इस ओर विशेष ध्यान दे।

सभापति महोदय : आज हमारा सदन सात बजे तक काम करने जा रहा है, ऐसा हमने कहा था। मेरे पास अभी तीन चार नाम हैं। मैं उन सबको टाइम दे रहा हूं मगर इस शर्त पर दे रहा हूं कि यह काम आज खत्म करना होगा। उसके लिए दस पन्द्रह मिनट ज्यादा बैठने की जरूरत होगी तो आप सब लोग बैठने के लिए तैयार होंगे।

श्री प्रताप भानु शर्मा (विदिशा) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने वित्त मंत्री श्री वैंकटरमन जी को धन्यवाद और बधाई देना चाहूंगा। उन्होंने मध्य प्रदेश के बजट में जो दिलचस्पी ली और उसको जिन कठिन परिस्थितियों में आज छोड़ा गया था, जो परिस्थितियां हमारे प्रदेश को विरासत में मिली थीं, उनको देखते हुए अपनी योग्यता के आधार पर जो प्राथमिकताएं दी हैं और जो उन्होंने मुद्दे तय किए हैं वह निश्चित रूप से प्रशंसनीय हैं। यह बात किसी से छिपी हुई नहीं है, जनता पार्टी के ढाई और तीन वर्ष के शासन के दौरान, सकलेचा और पटवा शासन ने जो मध्य प्रदेश के प्रशासन को चौपट करके दिया था, उससे जो स्थिति उत्पन्न हो गई थी वह पूरे देश के लोग जानते हैं। चाहे वह उद्योग के उत्पादन का क्षेत्र रहा हो या बिजली के उत्पादन का क्षेत्र रहा हो या कोई और क्षेत्र रहा हो सभी क्षेत्रों में स्थिति खराब थी। 75-76 में हमारा राज्य बिजली उत्पादन के मामले में सरप्लस राज्य कहलाता था। साढ़े बारह सौ मैगावाट बिजली उस समय हमारे यहां उत्पादित होती थी जबकि क्षमता के अनुसार करीब 1500 मैगावाट का उत्पादन होना चाहिए था। उस समय उसके 80 प्रतिशत का उत्पादन हमारे यहां होता था। जब 1977 में सकलेचा सरकार को शासन सौंपा गया उस समय हमारे यहां विद्युत का उत्पादन 1050 मैगावाट था। आज हमारे प्रदेश में बिजली का उत्पादन 650 से लेकर 700 मैगावाट है जो कि टोटल क्षमता का 50 प्रतिशत भी नहीं है जिसके कारण उद्योगों में जो प्रगति होनी चाहिए वह नहीं हो पा रही है और उद्योग जिस रफ्तार से चलने चाहिएं उस रफ्तार से नहीं चल पा रहे हैं। खेती के काम में इधर जहां पर डीजल की कठिनाई पैदा हो गई थी पिछले छः महीने या साल भर से वहां पर बिजली जो कि एक आलटरनेटिव सोर्स है पावर का वह जिस मात्रा में चाहिए उस मात्रा में नहीं मिल पा रही है। इसलिए किसान देहातों में परेशान हैं। इन परिस्थितियों में वर्तमान बजट में सिंचाई और बिजली को जो प्राथमिकता दी गई है वह प्रशंसनीय है और मैं इसका पुरजोर तरीके से समर्थन करता हूं।

अभी मेजवलकर जी ने यहां पर कहा कि विधान सभाओं को भंग करना असंविधानिक था लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि 1977 में भी वे इस सदन के सदस्य थे, क्या उस समय उन्होंने यहां की प्रोसीडिंग्ज में इस तरह की आपत्ति उठाई थी? इस बार 90 प्रतिशत क्षेत्रों से जनता ने उनको रेजेक्ट कर दिया, 40 में केवल 4 सीटें विपक्ष को मिलीं इसलिए आज इस प्रकार के शब्द उनके मुंह से शोभा नहीं देते। चाहिए तो यह था कि सकलेचा और पटवा सरकार स्वयं ही तुरन्त इस्तीफा दे देतीं और राष्ट्रपति से वे मांग करते कि फिर से चुनाव कराए जाएं। इस परम्परा का पालन न करके आज बजट के अवसर पर इस तरह की बात यहां पर कहना उनके लिए उचित नहीं था।

जहां तक उद्योगों का संबंध है, मैं कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश बहुत पिछड़ा हुआ है जबकि वहां पर उद्योगों के विकास की पूरी संभावनाएं मौजूद हैं। खनिज पदार्थ, पानी, बिजली और लेबर—यह सारे आधार उद्योगों के विकास के लिए वहां पर मौजूद हैं और काफी तादाद में वहां पर उद्योगों की स्थापना की जा सकती है। मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जब सारे देश का बजट यहां पर प्रस्तुत करें तो उस समय मध्य प्रदेश को औद्योगिक दृष्टि से आगे ले जाने के लिए ज्यादा से ज्यादा मदद दें।

हमारी प्रधान मंत्री ने बीससूत्री कार्यक्रम को कार्यान्वित करने की बात कही है लेकिन मध्य प्रदेश के बजट में इसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। मेरा सुझाव है कि 5-10 करोड़ रुपया आप क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को दीजिए और उनके माध्यम से कमजोर वर्ग के लोगों को ऊपर उठाने की कोशिश कीजिए।

श्री अरविन्द नेताम (कांकेर) : सभापति जी, मुझे बहुत कुछ कहना था पर मैं एक ही मुद्दे को आपके माध्यम से मंत्री जी के समक्ष रखना चाहता हूं । सन् 1975 में केन्द्रीय सरकार के माध्यम से देश के बहुत से आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासियों को शराब बनाने की छूट दी गई थी जिनमें मध्य प्रदेश भी है । जो पहले ठेकेदारी प्रथा, कांट्रेक्टर सिस्टम था लिकर शाप्स का उसमें बहुत शोषण होता था और आदिवासियों पर बहुत एकोनामिक बर्डेन पड़ता था । इसलिए इस सिस्टम को एबालिश करके आदिवासियों को शराब बनाने की छूट दी गई थी और इसमें प्रधान मंत्री का बहुत बड़ा हाथ था । यह छूट 1975 से चल रही थी लेकिन नवम्बर, 1979 में उस समय की सरकार ने इस सुविधा को बन्द कर दिया । मैं इसलिए इस बात को यहां पर उठा रहा हूं कि हम आदिवासी शराब शौक के लिए नहीं पीते बल्कि शराब का हमारा संबंध संस्कृति, धर्म और रीति रिवाज तीनों से ही है । सरकारी डिस्टिलरी की शराब का हमारे पूजा के काम में कहीं उपयोग नहीं होता । कांट्रेक्टर्स के माध्यम से आदिवासी क्षेत्रों में यह शराब दी जा रही है लेकिन हमारे सामने सबसे बड़ी सामाजिक समस्या यह है कि हम पूजा के काम के लिए शराब कहां से लाएं ? गवर्नमेंट ने तो कह दिया कि आप बना नहीं सकते, पी नहीं सकते । जो सरकारी शराब मिलती है, उसी को पीजिये । इस तरह से हमारे यहां बहुत कठिनाई हो रही है । हमारे यहां पूजा के लिये सरकारी शराब का उपयोग नहीं होता है—यह एक सबसे बड़ी सामाजिक समस्या हमारे यहां है । पिछली बार जब मैं अपनी कांस्टीच्यूएन्सी के दौरे पर गया, तो एक जगह मैं पूजा के लिए गया । हमारी संस्कृति में उस शराब के बिना पूजा नहीं होती, हाथ-भट्टी की शराब न होने के कारण पूजा का काम मुझे अधूरा छोड़ना पड़ा । मैं वित्त मंत्री जी को बतलाना चाहता हूं—पहले भी एक दफा इस नीति को छोड़ने का प्रयास किया गया, उस समय हम बहुत से संसद सदस्य, माननीय कार्तिक-ओरांव जी का भी उसमें बहुत बड़ा हाथ था, केन्द्रीय सरकार के माध्यम से उस को ठीक कराने में सफल हुए थे । मैं माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं—मैं जानता हूं इसमें कुछ कानूनी अड़चनें आएंगी, पिछली 18 और 19 जनवरी को जब शराब की दुकानों की नीलामी हो रही थी, तब मैंने राज्यपाल और वहां के चीफ सैक्रेटरी को टेलीग्राम भेजा था और निवेदन किया था कि इसको बन्द किया जाय तथा नवम्बर से पहले की स्थिति को लागू करने का अनुरोध किया था, लेकिन फिर भी सारी दुकानें नीलाम कर दी गई और यह नीलाम 1 अप्रेल से लागू हो जायगा । चुनाव भी उसके पहले नहीं हो पाएंगे । इस तरह की कानूनी अड़चन आपके सामने आयेगी । इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि नवम्बर से पहले की स्थिति को आप वहां लागू करायें । मैं यह बात आज स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि इस ईशु पर मैं चाहे आने वाली गवर्नमेंट हो या कोई भी हो, समझौता करने को तैयार नहीं हूं । क्योंकि यह चीज हमारी संस्कृति धर्म और रीत-रिवाजों से संबंधित है ।

इसलिये मैं चाहता हूं कि आप इस को गंभीरता से लें और उसको लागू करने की कृपा करें । मेरा आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से इस समय यही निवेदन है ।

श्री बाबू लाल सोलंकी (मुरैना) : सभापति, महोदय, आपने मुझे पहली बार सदन में बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं । वित्त मंत्री महोदय ने मध्य प्रदेश का जो बजट पेश किया है, उसका मैं पूरी तरह से समर्थन करता हूं ।

मैं इस अवसर पर अपने क्षेत्र की कुछ समस्याओं की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । मैं मध्य प्रदेश के मुरैना क्षेत्र से चुनकर यहां आया हूं, मेरे क्षेत्र में बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है और इतनी ज्यादा बढ़ गई है जिसमें मुरैना जिले में रहनेवाली गरीब जनता के लिये सामान्य जीवन बिताना भी कठिन हो रहा है । मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि मेरे क्षेत्र में कोई ऐसा कारखाना खोला जाये जिससे काफी मात्रा में बेरोजगारों को रोजगार मिल सके ।

मैं अधिक समय न लेते हुए एक बात यह कहना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में चम्बल-बीहड़ कृषि योजना के तहत जमीनों का समतलीकरण हो रहा है । मैं चाहता हूं कि उस जमीन का वितरण सरकार के माध्यम से भूमिहीनों में किया जाय ।

1977 के पूर्व, जब हमारी प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थीं, उस समय 20 सूत्री कार्यक्रम के तेहत भूमिहीन किसानों को जमीनें बांटी गई थीं । वे जमीनें जनता पार्टी की सरकार ने उनसे छुड़ा लीं । मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि फिर से 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत गरीब किसानों को जमीन बांटने का काम शुरू किया जाय ।

19.00 hrs.

THE MINISTER OF FINANCE AND INDUSTRY (SHRI R. VENKATARAMAN): Mr. Chairman, Sir, at the outset, I would like to deal with the objection raised by my esteemed friend, Mr Shejwalkar regarding the validity and the propriety of the proclamation. I would like to tell him that people living in glass houses should not throw stones at others. Apart from that, validity and the propriety of it is going to be debated in this House in a full measure when the proclamation is discussed. The whole question is going to be fully debated. Perhaps, Mr Shejwalkar wanted to have a dress

[Shri R. Venkataraman]

rehearsal of the later debate and he has raised this. I can very briefly inform the House that both under the Constitution and under the decision of the Supreme Court, the judicial precedent and by political practice, the dissolution has been justified. Furrthermore, Mr Shejwalkar said : how can you present this Budget without the proclamation being approved ?

SHRI SUNIL MAITRA: We raised the question of propriety, not legality.

SHRI R. VENKATARAMAN : I have an answer for it. In the past also this was done.

When Karnataka Assembly was dissolved the proclamation was issued on 27th March, 1971, the proclamation was laid on the Table on 27-3-71, the Budget was persented on 27-3-71, the vote on account was passed on 29 3-71 and the proclamation was approved on 24-5-71. This was earlier in 1971.

SHRI N. K. SHEJWALKAR: Don't you make a distinction between the dates ? It was at the end of March.

SHRI R. VENKATARAMAN : The point is whether it is legal to present to vote on account.

SHRI N. K. SHEJWALKAR :There are two things, legality and propriety.

SHRI R. VENKATARAMAN : I will reply to both. If you concede the first, *viz*., legality, I will then come to propriety. You said both and now you seem to be shifting your ground.

SHRI N. K. SHEJWALKAR : I am not shifting my ground.

SHRI R. VENKATARAMAN : So far as the propriety is concerned, under the law, the proclamation is valid for two months and during that period, a vote on account can be presented without any impropriety. This has not only been established here. I can, if I have the time, quote Shakdhar's interpretation and I have also the precedents. I will leave it at that and say that in this matter, Mr. Shejwalkar, at any rate cannot complain whatever may be the views expressed by others.

Now I will come and deal with the main Budget. This Budget provides for a plan outlay of Rs. 503·56 crores and in this outlay, power gets Rs. 205 crores, Irrigation gets Rs. 92·10 crores and agriculture gets Rs. 84 crores approximately. The distribution amongst the various items appear to be very reasonable taking into account the needs of Madhya Pradesh. I do not find any criticism offered in this House with regard to the *inter-se* distribution of the allocations. There is one point, which has really worried not only the opposition, but the Government also, *viz*., the drought situation. So far as the drought situation is concerned, the Government have made special efforts to rush a lot of food assistance to Madhya Pradesh. The normal food for work assistance to the State is 1,30,000 tonnes, but as a special assistance, we have allocated 1,95,000 tonnes of foodgrains, in order to relieve the drought affected people.

Again, the Central Government has provided Rs. 21·5 crores as plan assistance for drought relief. The very fact that we have provided so much relief shows that the distress is great and that everything should be done to relieve and alleviate the distress of the people. I would only say that in this matter all the parties should cooperate and see that the relief reaches the people. Merely by allocating all the food, all the resources and money, it does not *ipso facto* means that it reaches the people. In order that it may reach the people, every effort should be made by voluntary agencies and others to see that the assistance reaches them.

AN HON. MEMBER : What about the Central team's report ?

SHRI R. VENKATARAMAN : I have no report of that kind. It is difficult for me to comment because in the absence of a report of that kind with me, it would not be possible for me to say anything. I do not want to say, it is all false. I do not know. Therefore, I will not say that.

Now, I would like to deal with some of the points raised by the hon. Members. Shri Basudeb Acharia made a very valid point. He said that relief employment must be provided not through contractors who exploit the persons but should be done directly. I entirely agree with him. We have in our own days also fought against employment through contractors. I am happy to say that the Committee of Secretaries who recently toured the affected areas have directed that the maximum amount of employment should be provided only through the muster roll and not through the contractors. A direction has been given to that effect.

There was a point raised about the irregular and in adequate supply of electricity . The Plan provides for Rs 205 crores for electricity in the year 1980-81 and efforts are being made to secure greater generation

and also to ensure regular supply through the distribution system. The hon. Members are aware that our power stations, particularly thermal power stations, are not working upto capacity. We are trying to improve their efficiency. We hope that this little snag will be soon set right.

There was also a point made that there are malpractices by *bidi* manufacturers by farming out *bidi* manufacture to small people and then taking it back and selling it. Not only in Madhya Pradesh but also in other places the Government have received such complaints. They are under examination.

Shri Dalbir Sing raised the question of inadequate expenditure on irrigation. The provision for irrigations like this. In 1979-80 the provision for major irrigation was Rs. 83.25 crores. Now the major and medium irrigation provision is Rs. 92·10 crores For minor irrigation, the provision in 1979-80 was Rs. 20.2 crores and now it has been raised to Rs 36·5 crores. The Planning Commission has further agreed to raise the outlay in respect of irrigation and power. Some of the major projects which have been taken up are the Mahanadi, Bansagar, etc. I am also happy to inform the House that a few major projects are being posed for assistance from the international agencies for foreign aid.

Shri Shejwakar suggested that an effort should be made to push up the income from Tendu leaf. and other forest produce. In the budget which has been presented to the House, the detailed estimates will show that the income from forest operations has been increased from Rs. 119·47 crores in 1979-80 to Rs. 140·66 crores in 1980-81. He also mentioned a few items of minerals on which royalty should be increased. It is a matter for negotiation.

Some Members have drawn attention to the backwardness of certain areas from which thay come. All I would suggest in respect of that is that it should be taken up with the State Government when the regular budget is presented.

Shri Motilal Singh has suggested that a survey of the irrigation potential of certain areas should be undertaken. This also I suggest, is not a matter which can be decided here; it should be taken up with the State Government.

Kumari Pushpa Devi Singh in her maiden speech, raised a very important question about adequate provision for tribal areas. I am happy to inform the house that the Plan provision for 1980-81 provides for Rs. 147 crores approximately as tribal plan; this is in comparison with Rs. 119·32 crores that had been provided in the Revised Estimates for 1979-80. Every effort will be made to ensure effective utilisation of these funds.

Certain points were raised particularly about the tribals and their right to manufacture their own liquor. I am unable to give any reply immediately, but if there has been any pratice and it has been wrongly or even inadvertently changed, Government will look into this and decide the matter....

SHRI ARVIND NETAM (Kanker) : From 1st April there is a legal complication after taking possession of the liquor shops.

SHRI R. VENKATARAMN : Now that I have been made aware of the urgency of the problem, I shall look into this matter as early as possible.

SHRI RAM PYARE PANIKA (Robertsganj): Not only Madhya Pradesh but all the tribal areas of the Country. (*Interruptions*)

SHRI R. VENRATARAMAN: The demands seems to be very popular.

I thank the House for the very valuable suggestions which they have made, and I am sure that they will be borne in mind by the departmental officers who have taken notes;

I am sure they will be taken note of and looked into adequately.

MR. CHAIRMAN: I shall now put the Demands for Grants on Account in respect of Madhya Pradesh for 1980-81 to vote.

The question is:

"That the respective sums not exceeding the amounts on Revenue account and Capital Account shown in the third column of the order paper, be granted to the President out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh, *on account* for or towards defraying the charges during the year ending on the 31st day of March 1981 in respect of the heads of demands entered in the second column thereof against Demands Nos. 1 to 43."

The motion was adopted

MR. CHAIRMAN : I shall now put the Sppplementary Demands for Grants in respect of Madhya Pradesh for 1979-80 to vote.

The question is :

"That the respective Supplementary sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in

[MR. Chairman]

the third column of the Order Paper, be granted to the President out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh, to defray the charges that will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1980, in respect of the following demands entered in the second column thereof—

Demands Nos. 1 to 4, 6 to 11, 13, 17 to 24, 27 to 30, 32 to 35, 40, 41, 43."

The motion was adopted.

19.12 hrs.

MADHYA PRADESH APPROPRIATION* (VOTE ON ACCOUNT) BILL, 1980

THE MINISTER OF FINANCE AND INDUSTRY (SHRI R. VENKATARAMAN : I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the withdrawal of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh for the services of a part of the Financia year 1980-81.

MR. CHAIRMAN : The question is :

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for the withdrawal of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh for the services of a part of the financial year 1980-81."

The motion was adopted.

SHRI R. VENKATARAMAN : I introduce† the Bill.

I beg to move† :

"That the Bill to provide for the withdrawal of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh for the services of a part of the financial year 1980-81, be taken into consideration."

MR. CHAIRMAN : The question is:

"That the Bill to provide for the withdrawal of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh for the services of a part of the financial year 1980-81 be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN : Now we take up clause by clause.

The question is :

"That clauses 2, 3 and the Schedule stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 2, 3 and the Schedule were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the title were added to the Bill.

*SHRI R. VENKATARAMAN: Sir, I beg to move :

"That the Bill be passed."

MR. CHAIRMAN : The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

19.14 hrs.

MADHYA PRADESH APPROPRIATION BILL*, 1980

THE MINISTER OF FINANCE AND INDUSTRY

SHRI R. VENKATARAMAN : Sir. I beg to move for leave to introduce a Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh for the services of the financial year 1979-80.

MR. CHAIRMAN : The Question is :

"That leave be granted to introduce a Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh for the services of the financial year 1979-80."

The motion was adopted.

SHRI R. VENKATARAMAN: I introduce† the Bill.

SHRI G. M. BANATWALLA (Ponnani): you have sufficient money to-day. Why not you come on Monday ?

---

*Published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, section 2, dated 15-3-80.

† Introduced/Moved with the recommendation of the President.